



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 29 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 18 फरवरी, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ख”)
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2013-14) का उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
6. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा फतेपुर की पूर्णतया क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राजीव शर्मा, निवासी ग्राम फतेपुर, ग्राम सभा-फतेहपुर, पो0 हरबर्टपुर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग रामबाग नहर की क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री राज कुमार, निवासी-ग्राम रामनगर, ग्राम सभा एटनबाग, पो0 हरबर्टपुर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत लांघा तथा ग्रामसभा तौलीभूड़ के मजरे भूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम भूड़, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद
में वितरित की
जायेंगी)

9. श्रीमती विजय बड़वाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट, देवराना, कड़ाई, सीला मोटर मार्ग डामरीकरण सुधारीकरण के सम्बन्ध में” श्री श्यामलाल कुकरेती, निवासी-ग्राम मरोड़ा, पो0 किमसार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मेंहूवाला खालसा के मजरे डांडा जंगल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कुंवर सिंह चौहान, निवासी ग्राम डांडा जंगल, ग्राम सभा मेंहूवाला, पो0 अम्बाड़ी तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, “जनपद बागेश्वर के ग्राम पय्या में छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री रतन राम निवासी ग्राम पय्या पो0 भिलकोट जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त कटापत्थर नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बाड़वाला, ग्राम सभा डूमेट, ग्राम सभा पपड़ियान, ग्राम सभा कटापत्थर, ग्राम सभा बावनधार ग्राम सभा भलेर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कटापत्थर, ग्राम सभा व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर की क्षतिग्रस्त नहर शीर्ष एवं एप्रोच चैनल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री बिरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम कटापत्थर, पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. श्री ललित फर्वाण, सदस्य, विधान सभा, “जनपद बागेश्वर के काण्डा, सुनारगांव क्षेत्र में हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में” श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी-ग्राम सुनारगांव, पो0 काण्डा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
16. डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा, “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल पाईप लाईन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती मथुरा देवी, निवासी-ग्राम गगोड़, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
17. डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा, “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ के रास्ते से पांडव खोली प्राथमिक पाठशाला जाने वाले रास्ते एवं उसके नीचे दोनों तरफ सुरक्षा दीवार/चकडाम बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोड़, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा, “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम सभा गगोड़, कांटा, ग्वाड को जोड़ते हुए पांडवखोली तक लिंक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री दशरथ कुमार, निवासी-ग्राम गगोड़, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
19. डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा, “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बैरागना में कनोला नाम तोक की जमीन के किनारे सुरक्षा/ बेस दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री सुरेश कुमार, निवासी ग्राम व पो0 लंगासू, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
20. डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा, “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम बीना के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोड़, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
21. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
22. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
23. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
24. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी- “ग”)
25. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।
26. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।
27. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
28. वित्तमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री तीरथ सिंह रावत
3. डा0 रमेश पोखरियाल ‘निशक’
4. श्री हरबंस कपूर
5. श्री बिशन सिंह चुफाल
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री बंशीधर भगत
8. श्रीमती विजय बड़वाल
9. श्री हरभजन सिंह चीमा

“भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

- 10 श्री अजय टम्टा
 - 11 श्री चन्दन राम दास
 - 12 श्री गणेश जोशी
 - 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
 - 14 श्री अरविन्द पाण्डे
 - 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
 - 16 श्री दान सिंह भण्डारी
 - 17 श्री मालचन्द
 - 18 श्री राजेश शुक्ला
 - 19 डा० प्रेम सिंह राणा
 - 20 श्री भीमलाल आर्य
 - 21 श्री चन्द्रशेखर
 - 22 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
 - 23 श्री संजय गुप्ता
 - 24 श्री आदेश चौहान
 - 25 श्री दलीप सिंह रावत
 - 26 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
 - 27 श्री महावीर सिंह
 - 28 श्री पुष्कर सिंह धामी
 - 29 श्री यतीश्वरानन्द
29. वित्तमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
30. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **15 मिनट)**
31. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
32. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पर विचार किया जाय। **15 मिनट)**
33. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया, पारित किया जाय।
34. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री तीर्थ सिंह रावत
3. डा० रमेश पोखरियाल 'निशक'
4. श्री हरबंस कपूर
5. श्री बिशन सिंह चुफाल

“उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

- 6 श्री मदन कौशिक
 - 7 श्री बंशीधर भगत
 - 8 श्रीमती विजय बड़वाल
 - 9 श्री हरभजन सिंह चीमा
 - 10 श्री अजय टम्टा
 - 11 श्री चन्दन राम दास
 - 12 श्री गणेश जोशी
 - 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
 - 14 श्री अरविन्द पाण्डे
 - 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
 - 16 श्री दान सिंह भण्डारी
 - 17 श्री मालचन्द
 - 18 श्री राजेश शुक्ला
 - 19 डा० प्रेम सिंह राणा
 - 20 श्री भीमलाल आर्य
 - 21 श्री चन्द्रशेखर
 - 22 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
 - 23 श्री संजय गुप्ता
 - 24 श्री आदेश चौहान
 - 25 श्री दलीप सिंह रावत
 - 26 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
 - 27 श्री महावीर सिंह
 - 28 श्री पुष्कर सिंह धामी
 - 29 श्री यतीश्वरानन्द
35. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
36. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **15 मिनट)**
37. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।
38. वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-
- (1) पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1620381 हजार (रुपये एक सौ बासठ करोड़ तीन लाख इक्कासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (2) श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1935266 हजार (रुपये एक सौ तिरानबे करोड़ बावन लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (3) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 13159811 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (4) परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 778196 हजार (रुपये सतहत्तर करोड़ इक्कासी लाख छियानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (5) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 12688852 हजार (रुपये एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (6) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 3193717 हजार (रुपये तीन सौ उन्नीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

39. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

40. विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मेलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियंत्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

41. जनपद हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :

दिनांक : 17 फरवरी, 2014

आज्ञा से,



(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

मंगलवार, 29 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 18 फरवरी, 2014)

नत्थी "क"

श्री दान सिंह
भण्डारी
03.02.2014

औद्योगिक विकास
**क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल जिले के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में सरकार द्वारा उद्योगों को आवंटित भूमि जिसमें उद्योगपतियों द्वारा सब्सिडी में भूमि लेकर उद्योगों को चलाया जाना था, किन्तु उद्योगपतियों द्वारा अब तक उद्योग नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उनको आवंटित भूमि खारिज कर अन्य उद्योगपतियों को दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवप्रभात
05.02.2014

गन्ना
**क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर की मैसर्स काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड पेराई सत्र 2012-13 से गन्ना पेराई बन्द कर दी है के गन्ना क्षेत्र के किसानों का गन्ना किस मिल को आवंटित किया गया है ? क्या सरकार इस गन्ना मिल का अधिग्रहण कर संचालन पर विचार कर रही है ?

नत्थी “ख”

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 28.01..2014	*01. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम प्रदेश में किन किन मार्गों पर जनहित में घाटे पर बस सेवायें संचालित कर रहा है ? क्या सरकार घाटे में चल रही बसों को बन्द करने जा रही है ? यदि हां, तो वर्ष 2013 से वर्तमान तक किन-किन रूटों से बस सेवा बन्द कर दी गई है ? क्या सरकार जनता की सुविधा के दृष्टिगत बन्द की गई बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री दलीप सिंह रावत 29.01..2014	*02. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नाथ जाति को पिछड़ी जाति घोषित न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार नाथ समुदाय को पिछड़ी जाति घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्रीमती सरिता आर्या 29.01..2014	*03. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल में स्थित बी०डी०पाण्डे हास्पिटल नैनीताल में कार्डियोलोजिस्ट, सर्जन जनरल सर्जन, रेडीयोलोजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, न्यूरोलोजिस्ट एवं महिला डाक्टरों की नियुक्ति हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त डाक्टरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 29.01..2014	*04. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जनता को जेनरिक दवाईयों उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 29.01..2014	*05. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपद वार कुल कितने बाल अपराधी बाल सुधार गृह में रह रहे हैं ? क्या सरकार ने इनके पुनर्वास हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री मदन कौशिक 27.01.2014	*6. स्थगित। क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जनपद का जिला योजना का बजट क्या है तथा प्रत्येक जनपद को आवंटित बजट को निर्धारित करने का मानक क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी जिलों को निश्चित अनुपात में बजट आवंटन हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वित्त

अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 28.01.2014	1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में देघाट व देवायल नामक स्थान पर चिकित्सालय भवनों के निर्माण कार्यों के लम्बित होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए चिकित्सालय भवनों को जनहित में शीघ्र उपयोगार्थ निर्माण कर निर्माण कार्यों को वर्षों तक पूर्ण न कराने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो संबंधित कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री गणेश जोशी 29.01.2014	2. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिसंख्य पात्र लोग विधवा/विकलांग/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मसूरी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम स्तर/वार्ड स्तर पर विधवा/विकलांग/वृद्धा/परित्यक्ता पेंशन शिविर लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्रीमती सरिता आर्या 29.01.2014	3. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली स्थित सैनीटोरियम की स्थिति अत्यन्त जीर्ण शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के पुनर्निर्माण हेतु कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री तीरथ सिंह रावत 29.01.2014	4. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन पर कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देय है तथा वार्षिक वृद्धि के लिए क्या मापदण्ड है ? क्या विभिन्न पदों पर वार्षिक वृद्धि समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री प्रेम सिंह राना 29.01.2014	5. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	स्वास्थ्य
श्री प्रेम सिंह राना 29.01.2014	6. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जनजाति निदेशालय की वर्ष 2005 में स्थापना की गयी थी किन्तु वर्तमान तक जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक कोई भी ढांचा (स्वरूप) तैयार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ढांचागत स्वरूप तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
हाजी सरवत करीम अंसारी 29.01.2014	7. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में कुल कितने उर्दू अनुवादक तैनात हैं तथा क्या उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो उन सब का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण

श्री मालचन्द
29.01.2014

8. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में बस स्टैंडों का निर्माण किया जायेगा तथा क्या मंत्री जी अवगत हैं कि नौगांव से प्रति दिन हजारों यात्री यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करते हैं तथा पुरोला, मोरी, हरकीदून, भराड़सर व केदारकांठा आने जाने वाले यात्रियों के पहले पड़ाव में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रवासियों की मांग पर सरकार इन तीनों बस स्टैंडों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

डा० जीतराम
30.01.2014

9. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 2009 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारकित प्रश्न संख्या 28 के द्वारा देहरादून-व्यासघाट-सतपुली तथा देहरादून-देवप्रयाग-बहेड़ाखाल-डांडानागराजा मोटर मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाओं के संचालन के संबंध में तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में निगम बस बेड़े में बसे एवं कू सीमित मात्रा में है एवं मार्गों पर संचालित हैं जिसके कारण उक्त मार्ग पर वर्तमान में बस संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो तब से वर्तमान तक बसों में कितनी वृद्धि हुई है और अभी तक उक्त मार्ग पर बस सेवायें संचालित न किये जाने के कारण क्या है तथा कब तक उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

परिवहन

श्री नवप्रभात
06.01.2014

10. क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) का प्रावधान किस तिथि से लागू किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारियों को भी इसी तिथि से ए०सी०पी० का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन्हे किस तिथि से ए०सी०पी० का लाभ दिया गया तथा तिथि में अन्तर का क्या कारण है ?

वित्त

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 18 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2014

18 मंगलवार

विधायी कार्य

1. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 जैसा प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदित किया गया पर विचार एवं पारण । (15 मिनट)
4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । (15 मिनट)
5. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण । (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

19 बुधवार

नियम-105 का प्रस्ताव

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाये। ” (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

20 गुरुवार

नियम-54 की सूचना

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।” (15 मिनट)

2. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों हेतु संचालित राज्य की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों को एक ही सूची मान्य हो।”
(15 मिनट)

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।”
(15 मिनट)

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास भी मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा “जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।”
(15 मिनट)

5. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा ।

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारों, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी हैं, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी रिक्लड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।” (15 मिनट)

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्ट, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लिंगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. आराखेत, 11. बिघौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फाबूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।” (15 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

नत्थी- “घ”

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या:- 28 पशुपालन संबंधी कार्य विभाग, 16 श्रम और रोजगार विभाग, 15 कल्याण योजनाओं से संबद्ध विभाग, 24 परिवहन विभाग, 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग, 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री अजय भट्ट	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
2. श्री तीरथ सिंह रावत	
3. डा० रमेश पोखरियाल “निशंक”	
4. श्री हरबंस कपूर	
5. श्री बिशन सिंह चुफाल	
6. श्री मदन कौशिक	
7. श्री बंशीधर भगत	
8. श्रीमती विजय बड़वाल	
9. श्री हरभजन सिंह चीमा	
10. श्री अजय टम्टा	
11. श्री चन्दन राम दास	
12. श्री गणेश जोशी	
13. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	
14. श्री अरविन्द पाण्डेय	
15. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल	
16. श्री दान सिंह भण्डारी	
17. श्री मालचन्द	
18. श्री राजेश शुक्ला	
19. डा० प्रेम सिंह राणा	
20. श्री भीम लाल आर्य	
21. श्री चन्द्रशेखर	
22. श्री पूरन सिंह फर्तवाल	
23. श्री संजय गुप्ता	
24. श्री आदेश चौहान	
25. श्री दलीप सिंह रावत	
26. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	
27. श्री महावीर सिंह रांगड़	
28. श्री पुष्कर सिंह धामी	
29. स्वामी यतीश्वरानन्द	